

क्रमांक 13/13/84-एस-II

प्रपत्र:

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष
आयुक्त अम्बाला/हिसार मंडल व हरियाणा
राज्य में सभी उपायुक्त व
सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक)

दिनांक 5-7-84 ।

विषय :-

Leave Travel concession to Central Government employees deputed to top level posts in Public Sector Undertakings.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11022/4/82-ए. आई. एस.-II, दिनांक 8-5-84 की प्रतिलिपियों की प्रतियों सहित आपको सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए संलग्न है।

भवदीय,

हस्ताक्षर/-

अवर सचिव, प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

क्रमांक 13/13/84-एस-II

दिनांक 5-7-84 ।

एक प्रति प्रतिलिपियों की प्रतियों सहित निम्नलिखित को सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए भेजी जाती है:

1. हरियाणा राज्य के सभी आई0ए0एस0 अधिकारी।
2. हरियाणा राज्य के सभी बोर्डों/कारपोरेशन के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक (केवल आई0ए0एस0 अधिकारी)
3. महालेखाकार, हरियाणा, चण्डीगढ़।

4. महानिदेशक, पुलिस, हरियाणा।
5. मुख्य वनपाल, हरियाणा।

हस्ता 0/-

अवर सचिव, प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति अनुलग्नकों की प्रतियों सहित सभी वित्तीयुक्त तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिवों की सेवा सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए प्रेषित है।

2. (गृह तथा वन विभाग के लिए) उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त हिदायतें सभी आई0पी0एस0/आई0एफ0एस अधिकारियों के ध्यान में ला दी जाएं।

हस्ता 0/-

अवर सचिव, प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी वित्तीयुक्त तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव।

अशा: क्रमांक 13/13/84-एस-II

दिनांक 5-7-84।

Copy of letter No. 11022/4/82-AIS-II dated 8-5-1984 from the Deputy Secretary to Govt. of India Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms addressed to the Chief Secretary to All State Governments.

Subject : — Leave Travel Concession to Central Govt. employees deputed to top level posts in Public Sector undertakings.

I am directed to forward herewith a copy each of this Department's O.M. No. 2(16)-Estt.(P-II) 82 dated 6th March, 1984 on the above subject and to request that the contents of this order may be brought to the notice of all the All India Service Officers of your State.